फर्द अहकाम

जयसिंह बनाम सरकार

न्यायालय

संख्या 211/2024

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	17/7/24	प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 138 का पेश किया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र सुना प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली [illegible] बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:49:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर—द्वितीय (सांगानेर),जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 211/2024
निर्णय दिनांक :19.07.2024

1. जयसिंह पुत्र रावजत सिंह निवासी भावगढ बन्ध्या — प्रार्थी

वनाम

1. सरकार द्वारा सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर। — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना प. अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम भावगढ बन्ध्या के खसरा नम्बरान् 574, 575, 580 लगायत 588 कुल किता 10 कुल रकबा 4.27 हैक्टेयर भूमि में पूर्व में विक्रय मेरे पिता रावतसिंह के नाम खातेदारी थी। मेरे पिता के द्वारा हिस्सा 5/6 अपने भाई व भाई की पत्नी को दे दिया था। जिसका नामान्तकरण 28.08.2014 को खुला गया, तत्पश्चात् शेष हिस्सा 1/6 रावतसिंह का भी पुनः उच्छब कवर के कर दिया गया। इस प्रकार उच्छब कंवर के हिस्सा 2/6 हो गया। जबकि विक्रय पत्र हिस्सा 1/6 का ही किया गया था। इस प्रकार एक विक्रय पत्र को दो बाद इन्द्राज हो गया है।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि उच्छब कंवर का विक्रय पत्र के अनुसान हिस्सा 1/6 शुद्ध कर शेष हिस्सा 1/6 रावत सिंह के नाम करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि उच्छब कंवर का विक्रय पत्र के अनुसान हिस्सा 1/6 शुद्ध कर शेष हिस्सा 1/6 रावत सिंह के नाम करने की कृपा करे।

हमने बहस प्रार्थी अधिवक्तापर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थी की वाके ग्राम भावगढ बन्ध्या में स्थित खसरा नम्बरान् 574, 575, 580 लगायत 588 कुल किता 10 कुल रकबा 4.27 हैक्टेयर में तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि क्रय—विक्रय पत्र की जॉच कर उच्छब कंवर का विक्रय पत्र के अनुसान हिस्सा 1/6 शुद्ध कर शेष हिस्सा 1/6 रावत सिंह के नाम करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सांगानेर को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर—द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:49:52 IST
Reason: SelfAttested